न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/191/2021	2021/489	20/10/2021	21.12.2021

1- BANK OF BARODA CONNAUGHT CIRCUS BRANCH, B-3, CANNAUGHT CIRCUS NEW DELHI-110001

प्रार्थी

बनाम

1- M/s.SATELLITE CABLES PVT. LTD., A-36. 2ND FLOOR, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110027
ALSO AT:- F-626, PHASE-1, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHIWADI, DISTRICT ALWAR, RAJASTHAN-301019.

2- MR. VIBHOR GUPTA (DIRECTOR-M/S SATELLITE CABLES PVT. LTD) 58, BIRCH COURT, NIRVANA COUNTY NEAR SOUTH CITTY-II, SECTOR 50, GURGAON, HARYANA-122018

3- MS. NIHARIKA GOEL (DIRECTOR- M/S SATELLITE CABLES PVT. LTD.) HOUSE NO. 95, TATVAM VILLAS SOHNA ROAD, SOUTH CITY 2, GURGOAN, HARYANA 122018.

4- MR. VINAY GUPTA, 58, BEARCH COURT, NIRWANA COUNTRY, NEAR SOUTH CITY II SECTOR-50, GURUGRAM HARYANA-122018.

5- MR. VIKAS GOEL, HOUSE NO. 95, TATVAM VILLAS SOHNA ROAD, SOUTH CITY 2, GURGOAN, HARYANA 122018.

6- MS. NIHARIKA GOEL, HOUSE NO. 95, TATVAM VILLAS SOHNA ROAD, SOUTH CITY 2, GURGAON, HARYANA-122018.

7- MRS PROMILA GUPTA 58] BIRCH COURT, NIRVANA COUNTY NEAR SOUTH CITY-II, SECTOR 50] GURGAON, HARYANA-122018 .

8- M/S OCEAN BUILDTECH PVT. LTD. 72, MANDIR MARG HALDERPUR INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI.

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 5,00,00,000/—रूपये (Rupees Five Crores Only) Cash Credit & Rs. 5,00,00,000/—रूपये (Rupees Five Crores Only) Bank Guarantee/Letter of Credit को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 31.03.2021 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 9,52,93,123.89/—(Rupees Nine Crore Fifty Two Lacs Ninety Three Thousand One Hundred Twenty Three And Eighty Nine Paisa Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के साथ की अदायगी नही की गई। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति (A) F-626, RIICO INDUSTRIAL AREA BHIWADI, DISTRICT ALWAR, RAJASTHAN-301019 IN THE NAME OF M/S SATELLITE CABLES PVT. LTD. (B) HYPOTHECATION ON FIXED ASSETS OF THE COMPANY

जिला कलक्टर, अलवर

EXCLUDING LAND & BUILDING को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त सम्पत्ति (A) F-626, RIICO INDUSTRIAL AREA BHIWADI, DISTRICT ALWAR, RAJASTHAN-301019 IN THE NAME OF M/S SATELLITE CABLES PVT. LTD. (B) HYPOTHECATION ON FIXED ASSETS OF THE COMPANY EXCLUDING LAND & BUILDING को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते हैः–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज०)

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर